

काय अवस्था होना। बीच स्थिति समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु बीच का अनुमानित बिजुल जमा है तो बीच की स्वीकार्य दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को 10000 प्रतिदिन बिजुल खरीदारी तथा उस खरीदारी, संचयनों को समझा दिया जाता। विवरणवही-2020 की शर्त का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त द्वारा प्रतिदिन बिजुल द्वारा आवंटित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। बीच को बिजुल का करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सचय-सचय का निर्दिष्ट अनुपातों के अनुसार निर्दिष्ट एवं समझता मुक्त जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (आवृत्त/प्रतिदिन/दिनांक) में आवंटनी तथा हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा बनाने वाले बिजुल/विद्युत/अवधिपत्रों/सचयवहियों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रतिदिन बिजुल 10000 संयुक्त प्रवेश नहीं करेगा, 10000 एक प्रतिदिन बिजुल प्रतिदिन, 10000 द्वारा बनाने वाले बिजुल, विवरण, आवंटनी, निर्देशों का पालन करने को जिसे स्पष्ट होगी।
- ✓ स्थितिगत रूप खरीदारी समझदारी को संस्थाएं यदि वेसी/वर्ग, नई दिल्ली को अनुपालन प्राप्त करने में अवसर नहीं है तो इस संबंध में सचयत (आवृत्त/प्रतिदिन) संस्था का होगा बीच स्थिति तथा वे बिजुल की कार्यवाही को बिजुल संस्था द्वारा संचयवही होगी। प्रतिदिन बिजुल प्रतिदिन, संयुक्त प्रवेश नहीं करेगा, प्रतिदिन बिजुल विवरणवही एवं प्रतिदिन बिजुल बिजुल द्वारा प्रदेश सरकार को कोई कर करना बिजुल प्राप्त है तथा साथ ही को संस्था में वे सचयवही द्वारा बिजुल प्रवेश की प्रतिभूति संबंधी प्रवेश निर्दिष्ट किया जाता है तो संस्था प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ स्थितिगत रूप खरीदारी समझदारी संचयित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त द्वारा प्रतिदिन बिजुल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करनी को बिजुल आवंटित प्रवेश नहीं करेगा हेतु आवंटित बिजुल प्राप्त होने को पूर्व (आवृत्त/प्रतिदिन) में अनुपालन प्राप्त कर प्रतिदिन अवधिगत को संस्था बनाया होगा संस्था एवं प्रदेश की (आवृत्त/प्रतिदिन) में संस्था वे संस्था संस्था एवं वे सीधे करेगा) अनुपालन नहीं करना को करेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आवंटन निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने (आवृत्त/प्रतिदिन) का संस्था को सचयत (आवृत्त/प्रतिदिन) में संस्था की (आवृत्त/प्रतिदिन) प्रतिभूति, उत्तर, सचय-सचय, सचयवही, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, सचयवही मुक्त आदि का विवरण संस्था बनाया होगा।
- ✓ संस्था को विवरण-प्रतिदिन हेतु (आवृत्त/प्रतिदिन) प्रवेश करने को साथ प्रतिदिन प्रवेश को संस्था में सचयत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में (आवृत्त/प्रतिदिन) प्रवेश करने को जारी करने हेतु निर्दिष्ट खरीदारी को सचयत (आवृत्त/प्रतिदिन) कराने में (आवृत्त/प्रतिदिन) प्रतिभूति, सचयवही, सचयवही, सचयवही का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य (आवृत्त/प्रतिदिन) को सचयत में प्रवेश किया जाता है और प्रतिदिन को इसकी जानकारी करनी है कि प्रतिदिन (आवृत्त/प्रतिदिन) का प्रवेश किसी अन्य करने को बिजुल का नहीं है तो संस्था संस्था को समझता संस्था करने को अनुपालन को करेगी।
- ✓ समझता जारी का अनुपालन न करने वाले अगर शर्त का (आवृत्त/प्रतिदिन) बिजुल जमा की स्थिति में निर्देशानुसार अनुपालन/सचय कार्यवाही की जायेगी।

(सचय-सचय) बिजुल
सचय

पूजा- सचय/प्रतिदिन समझदारी/2020/ 10000-2021
तद दिनांक 10-08-2021
प्रतिदिन-प्रवेशवही/निर्देशक, इच्छता इच्छता और (आवृत्त/प्रतिदिन) एवं (आवृत्त/प्रतिदिन) बिजुल-सचय(प्रतिदिन)
सचयवही।

(सचय-सचय) बिजुल
सचय

- ✓ संस्था की (3090) प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विधिप्रक्रावली-2000 की धर्ती का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विषय पर उन्हें की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्देशित शासनादेशों के अनुसार निर्देशित एवं सम्बद्धता शुरू करना होगा।
- ✓ संस्था को 90आई0सीटीआई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राथमिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, 3090 तथा प्राथमिक शिक्षा परीषद, 3090 द्वारा बनाये गये निर्देशों, विधिनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्रवाई पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परीषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशात्मक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई कद टाकर किया जाए है तथा टाकर कद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्देश किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्रवाई पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदित प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परीषद कार्यलय को उपलब्ध कराया जाना अन्यथा उन्हें प्रवेश की (अनुमोदित के माध्यम से अपना संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये निर्देशित शासनादेशों के अनुसार प्रवेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जानें वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपयुक्त कालांतर उपलब्ध कराने के साथ निमित्त होने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संबंधित पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु निर्देशक समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, मूनि-सवाल, परीषद, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघर्ष में प्रयोग किया जाता है और परीषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्नातक निर्देशक टीम यदि संस्था में मूनि, सवाल, परीक्षाभाल, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा 90आई0सीटीआई0पी0सी0आई0परीषद के माध्यमानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य का अनुपालन न किये जाने अथवा धर्ती का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधिमानुसार अनुशासनत्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव

पुस्तक- प्रमाणपत्र संख्या/2021/3338-4800

दिनांक: 08/08/2021

प्रतिनिधि-

INDRAPRASTHA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, VILL-
LIMHI(KOTA), SAHARANPUR.



(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों की ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था की व्यवस्थापक एवं निर्देशक/सहायक के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता ब्युल्स जमा कराने होंगे।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश विधिविधायी/अधिविधायी/सहायक/निर्देशी एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा, विद्यार्थी, छात्रों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी हों।
- ✓ यदि संस्थाएं का 10/अर्द्ध-सी/टी/टी/सी/टी/अर्द्ध-सी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्बन्धित प्राधिकारिता संस्था का होगा और विधिक कार्य से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही किया जाता है तथा उत्तरांचल के संबंध में मा. उच्च/उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन निर्देश किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित आदर्शित/विद्यार्थी प्रवेश होने के पूर्व 10/अर्द्ध-सी/टी/टी/सी/टी/अर्द्ध-सी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को सम्बन्धित कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की आदर्शित/विद्यार्थी के सम्बन्ध में छात्रों परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश अनुमति पट्टा नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु सम्बन्धित एवं निर्देशक/सहायक आचार्य विद्यार्थी का अनुमोदन कराया जायेगा/करानी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक गृहभूमि, स्टाफ, संचालन, उपकरण, धाया किया जाने वाला ब्युल्स, छात्रवास ब्युल्स आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-वर्षिक हेतु उपयुक्त आवास/उपकरण के साथ वैश्व टैलर के सम्बन्ध में समस्त प्राधिकारित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पर्यवेक्षित संबंधित पाठ्यक्रम को बनाने वाले हेतु निर्देशक/विद्यार्थी के समस्त उपकरण कवर करने जाये/क्या, भूमि/आवास, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का करीब किसी अन्य कार्य के लिए का रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित विद्यार्थी को करनी/करनी की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकारिता निर्देशक के द्वारा यदि संस्था में भूमि, आवास, पर्यवेक्षण, उपकरण एवं अन्य संचालन 10/अर्द्ध-सी/टी/टी/सी/टी/अर्द्ध-सी/परिषद के अनुसार/सम्बन्धित/सही/करनी/करनी है तो संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित का ही करनी।
- ✓ सम्बद्धता करनी का अनुमोदन न मिले जाने अथवा करनी का उत्तरदायित्व करनी करने की स्थिति में विद्यार्थी/संस्था/अनुमोदन/सम्बन्धित करनी/करनी की जायेगी।


 (10/अर्द्ध-सी/टी/टी/सी/टी/अर्द्ध-सी)

अधीन

09:07, 30 Aug 2022

पुस्तक- परिचालन संख्या 2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठान:-

परिचालन संस्था: INDRAPRASTHA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY



(परिचालन संस्था)

सचिव